(653)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट-IV   जयपुर, दिनांकः 22/6/17

आदेश

क्रेडाई राजस्थान, क्रेडाई भिवाड़ी एवं टोड़ार द्वारा निवेदन किया गया हैं कि फार्म हाऊस, रिसोर्ट, मॉटल आदि परियोजनाऐं बड़े क्षेत्रफल में विकसित होती हैं तथा शहर से दूर प्रस्तावित होने के कारण विकास कार्य भी विकासकर्ता को स्वंय ही कराने पडते हैं। इस दृष्टि से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र समर्पित कराये जाने से छूट दी जावे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विचार विर्मश उपरान्त निर्णय लिया गया कि

(i) फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोडे जाने की अनिवार्यता नही होगी। फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ एकल पट्टे के लिए 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र से पूर्ण छूट दी जाती है।

(ii) संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोडे जाने की अनिवार्यता नही होगी। संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि, भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ऑवरहैड वॉटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।

22/6/17
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निदेशक , स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
11. उप विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग।
12. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त को आवश्यक कार्यवाही बाबत......................।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

22/6/17
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

(424)